[15/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1842]

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 1842 की जानकारी

परिशिष्ट 'अ'

शासकीय महाविद्यालय निवास में प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, स्वीकृत, भरे, रिक्त पदों की जानकारी

क	जिला	महावि का नाम	महावि का स्वरूप–स्नातक अथवा स्नातकोत्तर	पद नाम	प्राचार्य,प्राध्यापक,सहायक प्राध्यापक, स्वीकृत, भरे ,रिक्त पदों का विवरण				रिमार्क
					विषय	कुल स्वीकृत पदो की संख्या	कुल भरे पदों की संख्या	कुल रिक्त पदों की संख्या	
1	मण्डला	शासकीय महावि निवास	स्नातक	सहायक प्राध्यापक	राजनीतिशस्त्र	1	1	0	0
2					इतिहास	1	1	0	0
3					समाजशास्त्र	1	0	1	01 अतिथि विद्वान कार्यरत
4					अर्थशास्त्र	1	0	1	01 अतिथि विद्वान कार्यरत
5					अंग्रेजी	1	0	1	01 अतिथि विद्वान कार्यरत
6					हिन्दी	1	0	1	01 अतिथि विद्वान कार्यरत
7					गणित	1	0	1	01 अतिथि विद्वान कार्यरत
8					भौतिकशास्त्र	1	1	0	निरंक
9					वनस्पतिशास्त्र	1	0	1	01 अतिथि विद्वान कार्यरत
10					प्राणीशास्त्र	1	0	1	01 अतिथि विद्वान कार्यरत
11					रसायनशास्त्र	1	0	1	01 अतिथि विद्वान कार्यरत
						11	03	08	

(डॉ. दिवा मिश्र)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1842 की जानकारी

म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु विभिन्न विषयों के लिए दिनांक 30.12.2022 को विज्ञापन जारी किए गये हैं ।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी) परीक्षा - 2022

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी) के पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 24/2022/ 30.12.2022
उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की
अंतिम तिथि 19.03.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20.02.2023 को (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 19.03.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी।
2. सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी) हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे । अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी ।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र मे उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा । शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी दिए गए निर्देशों का भली भांति एवं सूक्ष्मता से समझने के पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया जाएगा।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 20.02.2023 से 21.03.2023 तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं । ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत ही सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता हैं तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नही की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी / वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) / लिंग (महिला / पुरुष) / दिव्यांगता / भूतपूर्व सैनिक / शासकीय सेवक / जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी / वर्ग / जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे । अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(डॉ0 दिवा मिश्र)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश